

प्रारूप-3

भाग-2 (संबन्धित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाएगा)

16 परियोजना या स्कीम की अवस्थिति P.H.G.S.V योजना आर्गुमेंट पायुली से मैदास मेरु मार्ग 1.738 हे

(i) राज्य / संघराज्य क्षेत्र उत्तराखण्ड

(ii) जिला चमलेख

(iii) जिला वन प्रभाग चमलेख वन प्रभाग चमलेख

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र 1.738 हे

17 पूर्वक्षेत्र के लिए पहचानी गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति आर्गुमेंट, वन प्रमाण एवं सिविल वन क्षेत्र

18 अपवर्जन के लिए प्रस्तावित वन भूमि में उपलब्ध वनस्थिति का ब्योरा

(i) वन का प्रकार डेन्स फॉरेस्ट

(ii) वनस्थिति का औसत पूर्ण घनत्व 4

(iii) प्रजातियार स्थानीय या वैज्ञानिक नाम और गिराए जाने के लिए अपक्षित वृक्षों की परिगणना संलग्न है

(iv) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली वन भूमि के लिए कार्यक्रम योजना का नुस्खा कोई नहीं

19 भूक्षरण के लिए पूर्वक्षेत्र हेतु उपयोग की जाने वाली वन भूमि की स्थलाकृति और क्षीणता पर संक्षिप्त टिप्पण भूक्षरण की संभावना नहीं

20 वन भूमि की सीमा से पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की लगभग दूरी 25 म

21 वन्य जीव की दृष्टि से पूर्वक्षेत्र में उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की महत्ता निम्न नहीं

(i) पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के लगभग विद्यमान वन्यजीव का ब्योरा महत्वपूर्ण वन्य जीव विभाग नहीं

(ii) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण, व्याघ्र रिजर्व, हाथी कोरीडोर वन्यजीव अट्ठावास गलियारे आदि के भाग का निर्माण करते हैं (यदि ऐसा है तो क्षेत्र के ब्योरे और उपायों किए जाने में मुख्य वन्य जीव वार्डन की और टीका टिप्पणियों उपायों की जाए) नहीं

(iii) क्या किसी राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से दस कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपायों की जाए) नहीं

(iv) क्या राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण जैव क्षेत्र आरक्षण व्याघ्र रिजर्व, हाथी गलियारे वन्य जीव उत्प्रवास आदि पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोजित की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि की सीमा से एक कि.मी. के भीतर अवस्थित है। (यदि ऐसा है, तो क्षेत्र के ब्योरे और मुख्य वन्य जीव वार्डन की टीका-टिप्पणियों उपायों की जाए) नहीं

(v) क्या क्षेत्र में वनस्थिति और जीव जंतु के अलग या खतरे में अलग किस्म के खतरे की प्रजातियां हैं, यदि हैं तो उसके ब्योरे नहीं

22 क्या क्षेत्र में कोई संरक्षित पुरातत्वीय या विरासत स्थल या प्रतिरक्षात्मक स्थापन या कोई महत्वपूर्ण संस्मारक अवस्थित है (यदि ऐसा है तो उपायों किए जाने के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र (एन ओ सी) के साथ उसका ब्योरा दें) नहीं

23 पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग की जाने वाली प्रस्तावित वन भूमि के विस्तार की युक्तियुक्तता के बारे में टीका टिप्पणियां दें विस्तार हेतु प्रमाण प्रस्तुत करें

(i) क्या भाग- 1 के पैरा 6 और पैरा 7 में प्रयोज्यता अभिकरण द्वारा यथाप्रस्तावित वन भूमि की अपेक्षा अपरिहार्य है और परियोजना के लिए अति न्यूनतम है। आर्गुमेंट रेंज न्यूनतम वन क्षेत्र है।

(ii) यदि नहीं तो वन भूमि के सिफारिश किए गए क्षेत्र जिसके पूर्वक्षेत्र के लिए उपयोग किया जा सकता है। है।

24 किए गए अतिक्रमण के ब्योरे

(i) क्या अधिनियम या अधिनियम के अधीन मार्गदर्शक सिद्धांतों के अतिक्रमण में किसी कार्य को किया गया है (ह/नहीं)

(ii) यदि हां, की गई कार्य अवधि, अतिक्रमण में अंतर्गलित वन भूमि, अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) का नाम, पते और पदनाम सहित अतिक्रमण के ब्योरे और अतिक्रमण के लिए उत्तरदायी के लिए उत्तरदायी व्यक्ति (यों) के विरुद्ध की गई कार्यवाही नहीं

(iii) क्या अतिक्रमण में कार्य अब भी प्रगति में है (ह/नहीं)

25 क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्योरे :

(i) क्षतिपूर्क वनरोपण बढ़ाने के लिए पहचान की गई वन भूमि की विधिक प्राप्ति। सिविल वन क्षेत्र वन क्षेत्र

(ii) अवस्थिति, सर्वेक्षण या कम्पाटमेंट या खसरा सख्या क्षेत्र और क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वन क्षेत्र या अवनत वन जैसे ब्योरे दें। सिविल वन क्षेत्र वन क्षेत्र

(iii) क्षतिपूर्क वनरोपण क्षेत्र के लिए पहचान किए गए गैर वनीकरण या अवनत वन दर्शित करने वाले 1:50,000 माप के मूल में स्थल परत भारत का सर्वेक्षण और सामीप्य वन सीमाएं संलग्न हैं। है।

(iv) सेपित की जाने वाली प्रजातियों कार्यन्वयन अभिकरण, समय सूची, लागत सरचना आदि सहित क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के ब्यौरे सलग्न है (हा/प्रकी/७७)।

(v) क्षतिपूर्क वनरोपण स्कीम के लिए कुल वित्तीय उपरिचय सलग्न है।

(vi) यथा क्षतिपूर्क वनरोपण के लिए और प्रयत्न के दृष्टिकोणों से पहचान किए गए क्षेत्र की युक्तियुक्तता के बारे में संबंध उपवन संरक्षक से प्रमाण-पत्र सलग्न है (हा/प्रकी/७७)।

26 वनस्पति और जीव जंतु पर प्रस्तावित क्रियाकलापों के समाधात से सम्बन्धित महत्वपूर्ण तथ्य प्रकाश में लाने वाले उप वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट सलग्न है (हा/प्रकी/७७)।

27 स्वीकृति या अन्यथा कारणों के साथ प्रस्ताव के लिए उप वन संरक्षक की विनिर्दिष्ट सकारिशी

स्थान: अल्मोड़ा
तारीख - ०९-०४-२०१५

स्वीकृति संस्कृति की जाती है
हस्ताक्षर नाम शासकीय मुद्रा
प्रभागीय वनोष्कारिशी
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा